राष्ट्रीय लोक अदालत

13/8/2022 पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश राष्ट्रीय लोक अदालत शिविर में पेश हुयी। वकील प्रार्थी व तहसीलदार पाटन उप0। पत्रावली में बहस पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि राजस्व ग्राम बिहारीपुर पटवार हल्का बिहारीपुर तहसील पाटन स्थित वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 447 कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 हैक्टे0 व खाता संख्या 524 कुल किता 1 कुल रकबा 0.01 हैक्टे0 व खाता संख्या 40 कुल किता 3 कुल रकबा 1.27 हैक्टे0 की खातेदारी में प्रार्थी का नाम शिवराम पुत्र बीरबल के स्थान पर श्योराम पुत्र बीरबल गलत दर्ज है। जबकि प्रार्थी का सही नाम शिवराम पुत्र बीरबल है। परन्तु नाम दर्ज करते समय राजस्व कार्मिकों ने सहवन से वादग्रस्त आराजी में प्रार्थी का बोलता नाम श्योराम पुत्र बीरबल गलत दर्ज कर दिया गया। प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिका, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विद्युल बिल, राशन कार्ड में प्रार्थी का सही नाम शिवराम पुत्र बीरबल अंकित है जिसकी फोटो प्रतिलिपियां प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ने सरपंच ग्राम पंचायत जीलो द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत किया है।

बहस पर मनन व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि विवादित आराजी के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का बोलता नाम श्योराम पुत्र बीरबल गलत दर्ज है। खातेदार प्रार्थी के सही नाम शिवराम पुत्र बीरबल की पुष्टि प्रार्थी के शैक्षणिक दस्तावेज अंकतालिका, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, विद्युल बिल, राशन कार्ड से व सरपंच ग्राम पंचायत जीलो द्वारा जारी प्रमाण पत्र से होती है। इस प्रकार प्रस्तुत रिकॉर्ड, दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाना उचित है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:36:00 IST
Reason: SelfAttested

आदेश

प्रा0 पत्र0 450/2022

निर्णय दिनांक 13.08.2022

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है तथा निम्नानुसार दुरुस्ती के आदेश दिये जाते हैः–